

क्रमांक/शि. स्या 3/2019/ 28856  
प्रति,


भोपाल दिनांक 31/10/19

1. समस्त संभागीय उपयुक्त  
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग  
मध्यप्रदेश।
2. समस्त सहायक आयुक्त  
आदिवासी विकास  
मध्यप्रदेश।
3. समस्त जिला सयोजक  
आदिम जाति कल्याण विभाग  
मध्यप्रदेश।

विषय:- शिक्षा विभाग से आदिम जाति कल्याण विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किये गये नवीन शिक्षक संवर्ग की वेतन व्यवस्था एवं अंशदायी पेंशन योजना की राशि जमा करने के संबंध में।

विषयान्तर्गत जिन नवीन शिक्षक संवर्ग में सविलयित शिक्षकों की शिक्षा विभाग से आदिम जाति कल्याण विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना की गई है, उनकी वेतन व्यवस्था एवं अंशदायी पेंशन योजना की राशि जमा करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-


1. उक्त शिक्षकों का वेतन मानदेय मद 42-009 से आहरित होगा।
2. उक्त शिक्षकों की अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत कर्मचारी का अंशदान (वेतन का 10%) एवं शासकीय अंशदान (वेतन का 10%) कुल वेतन का 20% राशि का पृथक से मानदेय मद 42-009 से आहरण कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से डाटा सहित स्कूल शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराये। योजनान्तर्गत इनकी मासिक कटौती की राशि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा NSDL में जमा कराई जायेगी।

  
(दीपाती रस्तोगी)  
आयुक्त  
आदिवासी विकास  
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/शि. स्या 3/2019/ 28857  
प्रति,

भोपाल दिनांक 31/10/19

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर भोपाल।

  
आयुक्त  
आदिवासी विकास  
मध्यप्रदेश